

**न्यायालय, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, हरदा (म0प्र0)**

समक्ष— वीरेन्द्र सिंह राजपूत  
विविध व्यवहार अपील क्र0-23/2015  
संस्थापन दिनांक-09.12.2015

1. हरिश्चन्द्र पुत्र रामेश्वर दयाल, उम्र 52 वर्ष,  
निवासी गंज बाजार गोहद, जिला भिण्ड  
म0प्र0

-----आवेदक/अपीलार्थी

// विरुद्ध //

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वरदयाल, उम्र 47 वर्ष।
2. अशोक कुमार पुत्र रामेश्वरदयाल, उम्र 51 वर्ष।
3. ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वरदयाल, उम्र 49 वर्ष।  
निवासीगण वार्ड न. 11 गोहद, जिला भिण्ड  
म0प्र0
4. सोनू पुत्र राजाराम, उम्र 21 वर्ष, निवासी 51  
नई सडक गुना, हाल निवासी- आवाद वार्ड  
न. 3 गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0
5. सर्व साधारण

-----रेस्पोडेंटगण/अनावेदकगण

अपीलार्थी द्वारा— श्री आर.एस.कुशवाह अधि0  
प्रत्यर्थी क्र. 1, 3, 5 पूर्व से एक पक्षीय।  
प्रत्यर्थी क्र. 2 द्वारा श्री पी.के.वर्मा अधिवक्ता।

**आ-दे-श**

(आज दिनांक 12/05/2017 को पारित किया गया)

01. अपीलार्थी की ओर से यह विविध व्यवहार अपील व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, गोहद (श्री केशव सिंह) द्वारा प्र0क्र0 15/2012 मु0फौ0 सक्सेशन में पारित आदेश दिनांक 13.03.15 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

02. संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि आवेदक/अपीलार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत धारा 372 का वाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह आधार लिए कि आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 की माँ स्व० श्रीमती वैजंती पत्नी रामेश्वरदयाल पुत्री नकटूराम निवासी वार्ड क्रमांक 11 गोहद थी तथा अनावेदक क्रमांक 5 की माँ श्रीमती मीना की माँ थी अर्थात् अनावेदक क्रमांक 5 की नानी होती है। आवेदक एवं अनावेदक 1 लगायत 4 के पिता स्व० रामेश्वरदयाल का देहांत हो चुका है जो कि अनावेदक क्रमांक 5 के नाना थे। अनावेदक एवं आवेदक मृतिका श्रीमती वैजंतीबाई के उत्तराधिकारी होकर वारिस है। स्व. वैजंतीबाई के नाम विशेष जमा मियादी रशीद क्रमांक 774006/342/97 पर 25,000/- रूपए, रसीद क्र० 774005/343/97 पर 10,000/- रूपए एवं रसीद क्रमांक 505220/580/96 पर 25,000/- रूपए स्टेट बैंक ऑफ इंदौर शाखा गोहद में जमा है। उक्त विशेष मियादी रसीदों की अवधि पूर्ण हो चुकी है। आवेदकगण की माँ स्व० वैजंती बाई का देहांत 30.10.2012 को हो चुका है। आवेदकगण सभी वारिस की हैसियत से 1/6 – 1/6 अंश प्राप्त करने के उत्तराधिकारी है। अतः उनके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने का निवेदन किया था।

03. अनावेदकगण की ओर से आवेदक के वाद का वादोत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

04. अपीलार्थी की ओर से आलोच्य आदेश को विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को अनदेखा किया गया है एवं प्रस्तुत दस्तावेजों को नजरअंदाज कर निष्कर्ष निकाले जाने में त्रुटि किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है।

05. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश को विधि अनुरूप होना दर्शाते हुए अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

06. अपील याचिका पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.एस.कुशवाह एवं प्रत्यर्थी 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री पी०के० वर्मा के तर्क सुने गये। अधीनस्थ न्यायालय के

प्रकरण क्रमांक 15/12 सक्सेशन (हरीशचन्द्र विरुद्ध राजेन्द्र कुमार ) के रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

07. अपील के निराकरण के लिए निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं :-

01. क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद प्रकरण क्रमांक 15/12 सक्सेशन (हरीशचन्द्र विरुद्ध राजेन्द्र कुमार ) में पारित आदेश दिनांकित 13.03.2015 पारित करने में विधिक और तथ्य संबंधी भूल की गई है?

02. क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/12 सक्सेशन (हरीशचन्द्र विरुद्ध राजेन्द्र कुमार ) में पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है?

#### //सकारण निष्कर्ष//

08. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है और यह आधार लिया है कि प्रकरण में मूल राशि 25,000/- रूपए, 10,000/-रूपए एवं पुनः 25,000/- रूपए जमा किए थे, किन्तु विचारण न्यायालय ने केवल 35,000/-रूपए का भुगतान जारी किये जाने का आदेश दिया है। प्रत्यर्थीगण की ओर से लिए गए आधारों का विरोध नहीं किया गया है।

09. प्रकरण का अवलोकन किया जाए तो अपीलार्थी हरीशचन्द्र की ओर से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 2012 की धारा 372 के अंतर्गत आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें मृतिका बैजंतीबाई के नाम से विशेष मियादी जमा रसीद क्रमांक 774006/342/97 पर 25,000/- रूपए एवं रसीद क्रमांक 774005/343/97 पर 10,000/- रूपए इसीप्रकार रसीद क्रमांक 505220/580/96 पर 25,000/- रूपए जमा कराए थे तथा विशेष मियादी जमा रसीद की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् कुल भुगतान योग्य राशि 1,28,242/- रूपए होना दर्शाते हुए आवेदक एवं अनावेदकगण के मध्य 1/6 – 1/6 अंश दिलाये जाने की प्रार्थना की

थी।

10. प्रकरण में आवेदक की ओर से साक्षी के रूप में हरीशचन्द्र की शपथपत्रीय साक्ष्य कराई गई है, जिसमें आवेदक साक्षी हरीशचन्द्र की ओर से याचिका में किए गए अभिकथनों के समान कथन किये हैं। विचारण न्यायालय ने अपने आलौच्य आदेश में बैजंतीबाई की मृत्यु के संबंध में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत न किए जाने संबंधी निष्कर्ष भी दिए हैं। साथ ही अपने आलौच्य आदेश में आवेदक को 1/6 राशि का उत्तराधिकारी होना पाते हुए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किये जाने संबंधी आदेश दिए हैं, किन्तु अपने आलौच्य आदेश के सहायता संबंधी पेरा में कितने धन राशि के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किया जाना है कोई उल्लेख नहीं किया है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि आलौच्य आदेश की कंडिका 7 में विचारण न्यायालय ने स्टेट बैंक इंदौर में बैजंतीबाई के नाम से 50,000/- रुपए तथा स्टेट बैंक गोहद में 25,000/- रुपए जमा होने संबंधी तथ्य को प्रमाणित पाया है। सम्पूर्ण राशि व्याज सहित कितनी थी आदेश दिनांक तक कितनी राशि कुल दिलाई जाना थी इसका कोई उल्लेख सहायता के पेरा चरण में नहीं है। ऐसी स्थिति में स्पष्टतः आवेदक को कितनी राशि दिलाई जाना है इसका कोई स्पष्ट उल्लेख विचारण न्यायालय के सहायता की कंडिका में नहीं है।

11. प्रकरण में स्वीकृत रूप से आधार लिये गए सावधि की रसीद बैजंतीबाई के खाते का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहाँ तक कि उक्त जमा सावधि व्याज सहित आवेदन प्रस्तुति दिनांक को कुल कितनी राशि हो गई थी, इसका भी कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रमाणित नहीं कराया गया है।

12. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलौच्य आदेश की कंडिका 7 में इस बात का उल्लेख किया है कि संलग्न प्रकरण क्रमांक 10/06 रामेश्वरदयाल वि० अशोक कुमार में बैजंतीबाई की मृत्यु प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न है तथा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर एवं स्टेट बैंक गोहद की जमा रसीद है, किन्तु इस संबंध में विचारण न्यायालय ने संबंधित बैंक से राशि की कोई जानकारी मगाई हो ऐसा दर्शित नहीं होता है। यह स्वीकृत स्थिति है कि फोटोकॉपी अपने आप अग्राह्य है, जबतक कि उसे साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय की अनुमति से

ग्राह्य न बनाया जाए। विचारण न्यायालय का अन्य प्रकरण में संलग्न मृत्यु प्रमाणपत्र की छायाप्रति पर विश्वास करना साक्ष्य अधिनियम के मान्य सिद्धांतों के विपरीत है। जिन दस्तावेजों को आधार बनाकर विचारण न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित किया गया है वह दस्तावेज प्रकरण में सम्मिलित नहीं है।

13. अतः प्रकरण की इस स्टेज पर इस आशय की कोई विश्वसनीय दस्तावेज रिकार्ड पर नहीं है कि बैजंतीबाई की मृत्यु हो चुकी है तथा बैजंतीबाई के नाम से व्याज सहित कुल कितनी राशि जमा है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से प्रश्नगत आलौच्य आदेश में गंभीर असंदिग्धताएं हैं जिनका निराकरण आवश्यक है और जो कि प्रकरण में साक्ष्य के उपरांत ही हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियाँ पुनः साक्ष्य अभिलिखित कर पुनः आदेश पारित करने की अपेक्षा करती है।

14. परिणामतः अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश दिनांक 13.03.2015 अपास्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण को उसी नम्बर पर दर्ज कर उभय पक्ष की ओर से ग्राह्य साक्ष्य आहूत कर प्रकरण में पुनः विधि अनुसार आदेश पारित करे।

15. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए उभय पक्ष अपना अपना वादव्यय वहन करेंगे।

16. आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का बुलाया गया अभिलेख बापस हो। उक्तानुसार व्यय तालिका निर्मित की जाये।

आदेश खुले न्यायालय में पारित मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश,  
गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश,  
गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)